सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस**

**अपील संख्याः 10/14** **निर्णय दिनांकः– 05–09–2019**

1. नेमाराम पुत्र हणुताराम जाति मेघवाल निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

**–बनाम–**

1. गोपीराम
2. बनाराम
3. दीपाराम

पुत्रगण हणुताराम जाति मेघवाल निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19–12–2013**
**उपखण्ड अधिकारी, कोलायत**

**उपस्थितः–**

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

**1.** अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 19–12–2013 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

**2.** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम दियातरा तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 117 में 56 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 121/2 में 50 बीघा, खसरा नम्बर 531/76 में 63 बीघा 17 बिस्वा कुल 170 बीघा 13 बिसवा भूमि स्थिति है। जिसमें अपीलांट का अन्य सह खातेदार गोपीराम, बनाराम व दीपाराम के साथ बहिस्सा बराबर अर्थात 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के खाता विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19—07—2012 को अपीलांट के हक व हिस्से की भूमि 1/4 हिस्से की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात् उक्त निषेधाज्ञा अपीलाधीन आदेश तक यथावत कायम चलती रही।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19—12—2013 को आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट/प्रार्थी की उपस्थिति दर्ज करते हुए व प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थित बताते हुए दिनांक 19—07—2012 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रकरण में राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में यह तथ्य भलींभांति साबित है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से का अधिकारी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट के हक व हिस्से तक की भूमि की ही निषेधाज्ञा जारी की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त निषेधाज्ञा को निरस्त करने का क्या उद्वेश्य है, इसका उल्लेख अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हणुताराम की पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र बिना सुनवाई व जवाब का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया अथवा वादग्रस्त भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को बेचान किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को बिना किसी युक्तियुकत कारण के खारिज किया गया है जो स्पष्ट रूप से कानून व नियमों के विपरीत होन से निरस्त योग्य है।

क्योंकि वादगत् भूमि पर पक्षकारों का हक व हिस्सा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। चूंकि अपीलांट अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अपने हक व हिस्से की भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के समन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि पर हणुताराम की पुत्रियों द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पक्षकार बनने की इस्तदुआ किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट के हक व हिस्से को मानते हुए पूर्व में जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया है। अपीलांट का यदि वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्स बनता है तो उक्त तथ्य दावे में साबित होने है। ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19—07—2012 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करन में कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—12—2013 को प्रार्थी की उपस्थिति तथा उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति बताकर बहस सुनने का उल्लेख किया है। जब वकील उपस्थित नहीं थे तो बहस किसकी सुनी? स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांट की बहनों को पक्षकार बनाने के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का 1/4 हिस्सा विहित नहीं होना मानकर पूर्व में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा की दरखवाश्त का निर्णय कर दिया गया। न्यायालय ने कहीं उल्लेख नहीं किया है कि प्रार्थी/अपीलांट का कितना हिस्सा शेष रहा है। न्यायालय ने पक्षकार

के रूप में संयोजित हणुताराम की पुत्रियों का हिस्सा निर्धारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में तब तक जमाबन्दी की प्रविष्ठियों को ही खातेदारी अधिकारों का सबूत माना जायेगा।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—12—2013 अपास्त किया जाता है तथा विवादित भूमि के खसरा नम्बर 117, 121/2 व 531/76 ग्राम दियातरा में अपीलांट नेमाराम के 1/4 हिस्से पर उसके कब्जे काश्त तथा विक्रय पर मूल वाद के निर्णय तक स्थगन जारी किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 05—09—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर